3

प्राथमिक शिक्षा का बदलता स्वरूप
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

पद्मा यादव*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूलों में 10+2 संरचना के स्थान पर अब 5+3+3+4 के संरचना को शामिल किया है। इसके तहत नया ढाँचा सुझाया गया है जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें स्कूली शिक्षा के पहले पाँच साल शामिल हैं, जिसमें प्री-स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो समग्र रूप से शामिल हैं। पहले जहाँ सरकारी स्कूली शिक्षा कक्षा एक से शुरू होती थी, वहीं, अब वह प्री-प्राइमरी से शुरू होगी। प्री-स्कूल के पहले दो साल बच्चा किसी आँगनवाड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरे साल की प्री-स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में बाल वाटिका कक्षा में प्राप्त कर सकता है (यानि इसकी अवधि एक साल की होगी)। सरल शब्दों में एक साल की प्री-स्कूली शिक्षा कक्षा एक के साथ जोड़ी जा रही है। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के तीन साल शामिल हैं, जिसे प्रारंभिक स्तर कहा गया है (जिसे अभी तक हम प्राथमिक या प्राइमरी या लोअर प्राइमरी कहते हैं)। शिक्षण के माध्यम के रूप में प्री-स्कूल और पहली से पाँचवीं तक की कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में और क्या नए बदलाव आ रहे हैं? ये बदलाव क्यों किए गए हैं? इस बदलाव के क्या लाभ होंगे आदि की चर्चा इस लेख के माध्यम से की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा की नींव है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य हैं— बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ उनका सर्वांगीण विकास कर भावी जीवन के लिए तैयार करना, एक संतुलित पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों का भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास करना, बच्चों के सामाजिक विकास में सहायता करना, बच्चों में आत्मविश्वास और स्वतंत्र भाव जागृत करना, समृद्ध शब्दावली और पठन कौशल को बढ़ावा देना इत्यादि।

भारत में अभी तक प्राथमिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करते आए हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की उम्र 6–11 वर्ष प्रस्तावित है (आर.टी.ई. एक्ट, 2009)। यह आँगनवाड़ी या बालवाड़ी या प्री-नर्सरी, नर्सरी आदि के बाद वाला चरण है। स्कूली शिक्षा का अगला चरण कक्षा 6, 7, 8, तथा 9 और 10 हैं, जिसे क्रमश: प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। देश के अधिकतर स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को हिंदी, अंग्रेज़ी,

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली 110016

© NCERT not to be republished

गणित और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पुस्तक नहीं है, उसे भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कक्षा तीसरी से पाँचवी तक हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित के साथ पर्यावरण अध्ययन भी विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को गतिविधियों या खेल के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। इस दौरान कोई नकारात्मक शैक्षिक बोझ बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है। बच्चों पर टेस्ट, परीक्षा का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। बोझिल गृहकार्य जिसमें कोई सृजनात्मकता विकसित करने के मौके न हों ऐस कार्य बच्चों को करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे सुझाव समय-समय पर रिसर्च, सेमिनार, गोष्ठियों आदि के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा हेतु दिए गए हैं, जैसे— समय-समय पर बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु सरकार, अध्यापकों और अभिभावकों द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं इतना होने के बाद भी स्कूलों में औपचारिक शिक्षण, अनावश्यक दबाव, रुचिहीन गतिविधियाँ, बच्चों का गिरता हुआ शैक्षिक स्तर, बच्चों का शिक्षा में रुचि न लेना, बीच में पढ़ाई छोड़ देना, विद्यालय न आना आदि समस्याएँ देश के सामने हैं। वर्तमान समय में भारत में सीखने की गंभीर चुनौतियाँ हैं। भारत में बच्चे प्राथमिक स्कूल में नामांकित तो हैं लेकिन बुनियादी साक्षरता और गणना जैसे मूलभूत कौशलों को सीखने में भी असफल हो रहे हैं। कई गैर सरकारी संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को बताया है कि बहुत से पाँचवीं के बच्चे चार, पाँच वर्ष स्कूल में व्यतीत करने के बावजूद पढ़ने और लिखने में अक्षम हैं। (जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख है) भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है।

भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। इससे पहले वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उदेश्य हैं— देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखना, शिक्षा को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना, शिक्षा को समग्र, लचीला और प्रत्येक विद्यार्थी में निहित क्षमताओं के विकास के लिए बनाना, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुँचाना आदि।

नई शिक्षा नीति में पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

स्कूली शिक्षा का नया ढाँचा

नई शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढाँचे में एक बड़ा परिवर्तन किया है। पहले 10+2 प्रणाली थी, यानि कक्षा 1 से 10 फिर दो वर्षीय कक्षा 11 एवं 12। परंतु अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने नया प्रारूप सुझाया है 5+3+3+4 यानि 5 वर्षीय बुनियादी शिक्षा, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, 3 वर्षीय

© NCERT not to be republished

प्रारंभिक स्तर (कक्षा 3–5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए) उसके बाद 3 वर्षीय मिडिल स्कूल स्टेज मध्य (कक्षा 6–8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए) और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो चरण में यानि पहले चरण में 9 और 10 और दूसरे चरण में 11 और 12 कक्षा, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए)। यह ढाँचा 3–18 उम्र के विद्यार्थियों के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए सुझाया गया है।

वर्तमान में 3–6 साल की उम्र के बच्चे 10+2 ढाँचे में शामिल नहीं हैं। 6 वर्ष के ऊपर के बच्चे कक्षा एक में प्रवेश पाते हैं (आर.टी.ई. एक्ट, 2009 के अनुसार)। नए ढाँचे में (5+3+3+4), 3 वर्ष के

प्राथमिक शिक्षा (पहले)

कक्षा 1	से ⟶	कक्षा 5

प्राथमिक शिक्षा अब (3–11 वर्ष तक)

(3–6 आयु वर्ग)	(6–8 आयु वर्ग)	(8–11 आयु वर्ग)
तीन साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा (किसी आँगनवाड़ी में/ प्री-स्कूल/बाल वाटिका में)	दो साल की कक्षा 1 और 2	तीन साल की शिक्षा जिसे प्रारंभिक स्तर कहा गया है कक्षा 3, 4 एवं 5

फाउंडेशनल स्तर

पूर्व प्राथमिक तीन साल की शिक्षा	+	कक्षा 1 और 2 दो साल की शिक्षा	=	फाउंडेशनल स्तर पाँच साल की शिक्षा

बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) को एक मज़बूत बुनियाद मानते हुए शामिल किया गया है, जिससे बच्चे बेहतर उपलब्धियों को हासिल कर सकें और उनकी शिक्षा सफल हो।

पुराने ढाँचे को बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी?

यह देखने में आया है कि बच्चों का स्कूलों में ठहराव नहीं हो पा रहा है (खासकर सामाजिक रूप से वंचित बच्चों का)। बच्चों में शैक्षिक सुधार भी नहीं हो रहा है और इससे सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च भी व्यर्थ हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि—

- पूर्व प्राथमिक स्तर तक बच्चे अनौपचारिक तरीके से खेल-खेल के माध्यम से सीखते हैं परंतु जब वे प्राथमिक शिक्षा में जाते हैं तो उन्हे औपचारिक ढंग से पढ़ाया जाता है जो सभी बच्चों को पसंद नहीं आता। कुछ बच्चे माता-पिता या बड़े भाई-बहन या खुद की क्षमता से पढ़ाई में रुचि बनाए रखते हैं तो कुछ को शिक्षा बोझिल लगने लगती है। शिक्षा में उनकी रुचि कम हो जाती है, धीरे-धीरे उनका स्कूल आना कम हो जाता है, वे ज़्यादा छुट्टी लेने लगते हैं और कुछ बच्चे तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा की निरंतरता में कमी आ जाती है।
- कुछ बच्चे पढ़ाई जारी रखते हैं पर ठीक से पढ़ने-लिखने के लिए तैयार न होने के कारण बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कक्षा 1 और 2 में ठीक से पढ़ नहीं पाते और पढ़ाई का बोझ महसूस करते हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे— शिक्षकों के पढ़ाने की विधि,

© NCERT not to be republished

पढ़ाई का माध्यम, बहुत ज़्यादा लेखन कार्य विशेषकर गृहकार्य, दंड, प्रोत्साहन की कमी इत्यादि। जैसाकि ज्ञात है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि बच्चे बिना पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव के (चाहे वो किसी भी प्रकार से हासिल की गयी हो— घर पर, आँगनवाड़ी में या किसी पूर्व प्राथमिक शाला में) प्राथमिक विद्यालय में आते हैं तो उन्हे समायोजन में दिक्कत होती है। समायोजन बनाने में उन्हें समय लगता है तब तक शिक्षिका आगे बढ़ जाती हैं और सीखने में अंतराल आ जाता है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो यह अंतराल बढ़ता चला जाता है और बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है।

- बच्चे अपने संग अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक तौर-तरीके कक्षा में लेकर आते हैं। जिसके कारण कक्षा में विभिन्नता के कई स्वरूप दिखाई देते हैं। स्कूल या कक्षा में प्रयुक्त होने वाली भाषा और बच्चों के घर की भाषा में फ़र्क होता है। शोध बताते हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा में सुगमता से सीखते हैं। विद्यालय में जब शिक्षक घर से भिन्न दूसरी भाषा में चाहे वह वहाँ कि क्षेत्रीय भाषा ही क्यों न हो या अंग्रेज़ी में बोलते और पढ़ाते हैं तो बच्चों को तालमेल बैठाने में वक्त लगता है; वे झिझकते हैं; और समझ कर पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
- प्राथमिक शालाओं में बच्चों के केवल एक पहलू पढ़ने, लिखने और गणित पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समय सारणी संतुलित नहीं होती। दिन भर में खेल-कूद, कला, संगीत, शारीरिक, मानसिक, भाषायिक, सृजनात्मक, सामाजिक विकास की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। कई विद्यालयों में तो खेल-कूद और अन्य गतिविधियाँ कराने का समय ही नहीं निकाला जाता है। बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल-खेल के माध्यम से लेकर आते हैं, उन्हें जब प्राथमिक शाला में औपचारिक तरीके से बिना गतिविधियों के पढ़ाया जाता तो वे पढ़ाई से बचने लगते हैं।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाले और प्राथमिक शाला में जाने वाले बच्चों के विकास की विशेषताओं और रुचियों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। परंतु इनके शिक्षण में बहुत भिन्नता आ जाती है। दोनों स्तर के शिक्षकों की ट्रेनिंग अलग-अलग होती है। ऐसे में उन्हें एक-दूसरे के बच्चों के सीखने के तरीकों की और सीखने के प्रतिफलों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। कक्षा एक और दो के शिक्षकों को लगता है कि बच्चे प्री-स्कूल से कुछ सीख कर ही नहीं आ रहे, सब उन्हें ही सिखाना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि हम कोर्स पूरा करें या उन्हें अक्षर ज्ञान दें। वहीं प्री-स्कूल के शिक्षक के अनुसार प्री-स्कूल का उदेश्य बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए तैयार करना है न कि अक्षर ज्ञान देना। वे शिक्षक सारा समय केवल खेल, कविता और कहानी में निकाल देते हैं। खेल कविता और कहानी का प्रयोग एक माध्यम के तौर पर होना चाहिए जिसके प्रयोग से बच्चों में शब्द भंडार विकसित, भाषा कौशल का विस्तार हो, ध्यान

© NCERT not to be republished

देने की अवधि में भी सुधार हो। बच्चों में ऐसे कौशलों का विकास हो जिससे वे अपने आप पढ़ने-लिखने में रुचि लेने लगें। इसके साथ ही भाषा एवं गणित को सीखने समझने के लिए तत्पर हो जाएँ। अतः दोनों स्तर के शिक्षकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शाला की पाठयचर्या के निर्माण में रुचि लेनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया, आकलन प्रक्रिया, इत्यादि साथ बैठकर तय करनी चाहिए और यह एक-दूसरे का पूरक होने चाहिए। अब नई शिक्षा नीति के आने से ये कमियाँ दूर की जा सकेंगी।

- पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सरकारी विभाग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, देखभाल, मध्याह्न भोजन आदि देने का प्रावधान है। यदि अलग-अलग संस्थाएँ ये सुविधाएँ देने की सोचेंगे तो समय और धन दोनों की हानि होगी, और इसका लाभ भी एक-साथ बच्चों को नहीं मिल पाएगा।

बच्चे के सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। साक्ष्य बताते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का 90 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। आरंभिक वर्षों में बच्चे के मस्तिष्क के सतत विकास तथा वृद्धि को प्रेरित करने के लिए विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क के उचित विकास के लिए बच्चे के आरंभिक वर्षों के दौरान उत्कृष्ट देखभाल, उचित पालन-पोषण, शारीरिक गतिविधियों, मनोसामाजिक वातावरण और संज्ञानात्मक तथा भावात्मक उत्प्रेरणा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी के कारण इसका असर उसके जीवन भर सीखने की प्रक्रियाओं पर पड़ता है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा वर्ष 1994 में बच्चों पर किए गए *प्राथमिक कक्षाओं में ठहराव पर शालापूर्व शिक्षा का प्रभाव* शीर्षक अध्ययन में शालापूर्व शिक्षा के अनुभवों और ठहराव की दरों के बीच प्रत्यक्ष और मज़बूत सह-संबंध दिखता है। इसके साथ ही यह प्राथमिक तथा इसके आगे की कक्षाओं से संबंधित 'सीखने के प्रतिफल' के संबंधों को भी प्रदर्शित करता है। ई.सी.सी.ई. में निवेश से बच्चों को एक अच्छे, नैतिक, विचारवान, रचनात्मक, समानुभूतिपूर्ण और योगदान देने में सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित होने का सबसे बेहतरीन मौका मिलता है। अतः नई शिक्षा नीति के विज़न को पूरा करने में प्री-स्कूल शिक्षा की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा नए बदलाव

- ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होगी। इससे प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसका लाभ पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को, जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षा में जाने वाले हैं, मिलेगा। वे प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर तैयार हो सकेंगे। शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी। शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा। पहली कक्षा में जाने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यह परिकल्पना गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या "बालवाटिका" (जो कि कक्षा 1 से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा,

© NCERT not to be republished

जिसमें एक ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम का संचालन करने के लिए योग्य शिक्षक होगा। इस कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल-आधारित होना चाहिए जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारिरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या-ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- दोपहर के (मध्याह्न) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (बालवाटिका) तक भी विस्तारित किया जाएगा। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जाँच-परीक्षण जो आँगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूल की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह देखना होगा कि फिर आँगनवाड़ी में केवल दो साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा रह जाएगी (3–5 साल के बच्चों के लिए) और इन्हें पोषण आहार, आँगनवाड़ी के नियमों के अनुसार मिलेगा। एक साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक कक्षा एक के साथ जुड़ जाएगी। उस नयी जुड़ने वाली कक्षा में प्राथमिक शालाओं की तरह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी होगी।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एम.एच.एफ.डब्ल्यू.), और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, देखभाल, सभी की समग्र रूप से ज़रूरत है। ऐसे में यदि सभी विभाग अलग-अलग सुविधाएँ देंगे तो समय और धन दोनों की हानि होगी और इसका लाभ भी एक साथ बच्चों को नहीं मिल पाएगा। स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत् मार्गदर्शन के लिए सभी विभागों का मिल-जुल कर कार्य करना अच्छा है। इससे कार्यक्रम का निरीक्षण करना भी सरल होगा। एक ही कमेटी या टास्क फ़ोर्स दोनों की गुणवत्ता सुधार के लिए तालमेल बैठा कर मार्ग दर्शन दे सकती है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आँगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता, बुनियादी ढाँचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आँगनवाड़ी कार्य कत्रियों या शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आँगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ और निर्मित भवन होगा। आँगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि आधारित शिक्षा ग्रहण करेंगे। बच्चे अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे ताकि आँगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में बेहतर तालमेल बनाया जा सके। आँगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल परिसर में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आँगनवाड़ी के बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों

© NCERT not to be republished

को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे बच्चों को एक स्तर (आँगनवाड़ी) से दूसरे स्तर (प्राथमिक विद्यालय) में जाने में सुगमता होगी।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ई.सी.सी.ई. को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बाहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों का आश्रमशालाओं में नामांकन हो पाएगा। उन्हें भी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा हासिल होगी और वे प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर तैयार हो पाएँगे साथ ही उनका प्राथमिक शालाओं में ठहराव बढ़ेगा और शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी, जिससे वे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ आत्मनिर्भर बन पाएँगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ई.सी.सी.ई. लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित होगी। इसके आलावा तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया जाएगा। समावेशी शिक्षा का लाभ सभी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिलता है। कक्षा में उपलब्ध विविधता, जैसे— अलग-अलग भाषा, खान-पीन, वेश-भूषा आदि शिक्षकों के लिए स्रोत या रिसोर्स का काम कर सकती हैं। यानि शिक्षक पढ़ते-पढ़ाते समय बच्चों को सभी के अधिकारों के प्रति जागृत कर सकते हैं। उन्हें सभी के धर्मों, भाषा और संस्कृति का आदर करना सिखा सकते हैं। इससे बच्चों में सहनशीलता भी बढती है। बच्चों के भाषायिक क्षमता का विकास होता है और वे अलग-अलग भाषा सीख जाते हैं। शिक्षकों को स्थानीय विशिष्ट खेल-खिलौने, कविता, कहानियों का प्रयोग, कक्षा में गतिविधियों को कराने में करना चाहिए।
- अब 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम बनेगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी या बालवाटिका या प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ़्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education) की उपलब्धता सुनिश्चित होगी इसके साथ ही 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जन्म से तीन वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए योजना तैयार की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि घर पर बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाए, कैसी क्रियाएँ करवाएँ कि बच्चों का शारीरिक-मानसिक और सामाजिक विकास अच्छा हो और उनमें ऐसे

© NCERT not to be republished

कौशलों का विकास हो जो उन्हें आगे चल कर पढ़ने लिखने के लिए तैयार करे।

- ई.सी.सी.ई. कक्षाओं में अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल किए जाएँगे। इसके साथ ही अन्य कार्य, जैसे— सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सावजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ई.सी.सी.ई. का उद्देश्य बच्चों का शारिरीक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाजिक-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास करना होगा साथ ही संवाद के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना भी ई.सी.सी.ई. का उद्देश्य होगा।
- ई.सी.सी.ई. शिक्षकों के शुरूआती कैडर को तैयार करने के लिए आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों या शिक्षकों को एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आँगनवाड़ी कार्यकत्री या शिक्षक को ई.सी.सी.ई. में 6 महीने का प्रमाणित कार्यक्रम कराया जाएगा; और कम शैक्षिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ई.सी.सी.ई. के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल या दूरस्थ माध्यम से डी.टी.एच. चैनलों के साथ-साथ स्मार्टफ़ोन के माध्यम से चलाया जा सकेगा, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ ई.सी.सी.ई. योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल पाएगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली या विधि के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ई.सी.सी.ई. शिक्षकों और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें प्रारंभिक सारक्षता और संख्या (foundational literacy & numeracy) एवं ई.सी.सी.ई. के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रशिक्षण कार्यकत्रियों के वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ डिजिटल या दूरस्थ माध्यम से होगी। ई.सी.सी.ई.

© NCERT not to be republished

के शिक्षकों को प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और सतत व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के मेंटर ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण का कार्य देखेंगे और निरंतर मूल्यांकन करेंगे।

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किए गए कार्य के आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता अभी क्लास 12 है और साथ में 'डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन' करना होता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जी.डी.पी. के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षक के हिस्से में भी सुधार हेतु काफी धनराशी खर्च करने की आवश्यकता है। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार की आवश्यकता है। यदि भौतिक परिवेश अच्छा होता है तो पढ़ने-लिखने में मन लगता है।
- कैबिनेट द्वारा 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' (Ministry of Human Resource Development— MHRD) का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' (Education Ministry) करने को भी मंज़ूरी दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य है, शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान आकर्षित करना।
- स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारु एकीकरण एवं सतत् मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल (टास्क फोर्स) का गठन किया जाएगा। इससे कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। शिक्षकों को मदद मिलेगी, यदि कोई ज़रूरत है तो समय पर मदद मिल सकेगी। लेकिन सहायक पर्यवेक्षण होना चाहिए जिससे सुधार हो सके, जाँच के उदेश्य से पर्यवेक्षण नहीं होना चाहिए।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों या शिक्षकों के ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिर्सोस सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और ये रिर्सोस सेंटर निरंतर मूल्यांकन के लिए कम-से-कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। दीर्घावधि में, राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था और करियर मैपिंग के जरिये आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना

© NCERT not to be republished

होगा। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.) के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास करना होगा।

निष्कर्ष

नई शिक्षा व्यवस्था नए भारत के संविधान में मील का पत्थर साबित होगी। नई शिक्षा नीति से पढ़ाई के साथ-साथ बहुमुखी प्रतिभा को निखारने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस शिक्षा नीति से राष्ट्र निर्माण का सपना पूरा होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए *इनोवेशन* और *रिसर्च* को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति उपयोगी सिद्ध होगी। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम तय होगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीकों से सिखाया जाएगा और साथ ही शिक्षकों की भी ट्रेनिंग होगी। कक्षा एक से तीन साल के बच्चों को लिखना-पढ़ना आ जाए, इस पर खास ज़ोर दिया जाएगा। इसके लिए एक नेशनल मिशन भी बनाया जाएगा। 3–8 साल के बच्चों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। प्री-स्कूल कक्षा में दाखिला लेने से पहले बच्चों को घर पर कौन-कौन सी गतिविधियाँ कराई जाएँ, यह भी अभिभावकों को बताया जाएगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से बच्चों को उनकी आयु और रुचि के अनुकूल शिक्षा मिल पाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का उपयुक्त समावेशन सुनिश्चित हो पाएगा। इसके लिए सबसे पहले कार्ययोजना तैयार करनी होगी फिर उसको अमल में लाने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण और जागरूक करना होगा। इसके साथ ही पढ़ने-पढ़ाने के लिए सामग्री का निर्माण करना होगा और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल देना होगा, तब अवश्य ही यह नीति राष्ट्र निर्माण में सहायक होगी।

संदर्भ

भारत सरकार. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2020. शिक्षा मंत्रालय. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2009. विधि और न्याय मंत्रालय. विधायी विभाग. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम*-2009, भारत सरकार.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished